

27/2/23

न्यायिक कार्य कर रसन
से पत्रावली दिनांक 23 को पेश हो।

27.2.23

प्राथीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली
सिवाह से तलब की गई। प्राथीगण स्वयं उपस्थित, प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 R.T.A में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को
शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्राथीगण
ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के विकट
अव आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं, तथा
भविष्य में हम प्राथीगण एवं पूनम सुनी रघुवीर सिंह
उक्त आशयियात लाबत किसी भी न्यायालय में
अन्य व्यक्तियों के विकट भी किसी भी प्रकार की

सुनी रघुवीर सिंह
पुनम सुनी
Ritany
निवेदन
सुनी रघुवीर सिंह


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर
अहमद
हुकम
में

कोई कार्यवाही या चाराजोही नहीं करेगे, अतः
प्राथ पत्र इसी स्तर पर श्वारीज फरमाया
जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर
मन्न किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया,
न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को
स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण
द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने
से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर श्वारीज
किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

1987
15/11/87
11/11/87